

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 8] दिल्ली, फरवरी 20—फरवरी 26, 2009, बुधस्पतिवार/फाल्गुन 1—फाल्गुन 7, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 330]
 No. 8] DELHI, FEBRUARY 20—FEBRUARY 26, 2009, THURSDAY/PHALGUNA 1—PHALGUNA 7, 1930 [N.C.T.D. No. 330]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 16 फरवरी, 2009

सं. फा. 10 (532)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3382.—
 गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
 शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के
 मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शैल बिटुमेन
 इंडिया प्रा. लि., 8-ई, हंसालया, बारखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001,
 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9,87,70,000 मूल्य के इक्विटी
 शेयरों जिनकी पृथक संख्या 44012078 से 53889077 है, पर लगने
 वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 98770 (रुपये अठानवे हजार सात सौ
 सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी
 करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 16th February, 2009

No. F. 10(532)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3382—In
 exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-
 section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899
 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry
 of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the
 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue
 Authority, Delhi hereby directs that M/s. Shell Bitumen
 India Private Limited, 8-E, Hansalaya, Barakhamba Road,
 New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of
 Rs. 98770 (Rs. Ninety Eight Thousand Seven Hundred
 Seventy) on the aggregate value of shares of Rs. 9,87,70,000
 for equity Share certificates with distinctive Nos. 44012078
 to 53889077 be issued by the said company.

सं. फा. 10(531)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3387.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सुन्दरी एपरल्स (इंडिया) प्रा. लि., 26 पीली कोठी, खानपुर, नई दिल्ली-110062, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,03,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4172001 से 4225700 और प्रिफरेन्स शेयरों जिसकी पृथक संख्या 1 से 397630 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 40,300 (रुपये चालीस हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(531)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3387.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sundri Apparels (India) Pvt. Ltd., 26, Peeli Kothi, Khanpur, New Delhi-110062 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 40,300 (Rs. Forty Thousand Three Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 4,03,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 4172001 to 4225700 and preference shares certificates with distinctive No. 1 to 397630 be issued by the said company.

सं. फा. 10(518)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3388.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9, की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दीवान चन्द रेडनैट सर्विसेज प्रा. लि., 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(518)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3388—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Diwan Chand Radnet Services Pvt. Ltd., 10-B, Katurba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 001 to 10,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(530)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3394.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इंडियामार्ट इन्टरमेश लि., 408, आशिर्वाद इन्कलेव, 104, आई पी एक्सटेंशन, दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 49,00,32,984 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 91,68,860 से 91,68,959 और प्रिफरेन्स शेयरों जिसकी पृथक संख्या पी 0000001 से पी 1493903 (सीरिज ए) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,90,033 (रुपये चार लाख नब्बे हजार तैतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(530)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3394.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indiamart Intermesh Limited, 408, Ashirwad Enclave, 104, I P Extension, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,90,033 (Rs. Four Lac Ninety Thousand Thirty Three) on the aggregate value of shares of Rs. 49,00,32,984 for equity Share certificates with distinctive Nos. 91,68,860 to 91,68,959 and series 'A' preference shares certificates with distinctive No. P0000001 to P1493903 be issued by the said company.

सं. फा. 10(533)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3396.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिनोकेम इंडिया कम्पनी प्रा. लि., 16 ए/20 डब्ल्यूईए मैन अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 36,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 36000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,60,000 (रुपये तीन लाख साठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(533)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3396.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sinochem India Company Pvt. Ltd., 16 A/20, WEA Main Ajmal Khan Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,60,000 (Rs. Three Lac Sixty Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 36,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 00000001 to 36000000 be issued by the said company.

दिल्ली, 19 फरवरी, 2009

सं. फा. 10 (536)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3484.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री महागुण (इंडिया) प्रा. लि., सी-215, विवेक विहार, दिल्ली-110095 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 24,22,51,870 मूल्य के इक्विटी बोनस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0,39,88,342 से 2,82,13,528 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,42,552 (रुपये दो लाख बयालीस हजार पांच सौ बावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 19th February, 2009

No. F. 10(536)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3484.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mahagun (India) Pvt. Ltd., C-215, Vivek Vihar, Delhi-110095 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,42,552 (Rs. Two Lac Fourty Two Thousand Five Hundred Fifty Two) on the aggregate value of shares of Rs. 24,22,51,870 for equity Bonus Share certificates with distinctive Nos. 0,39,88,342 to 2,82,13,528 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (495)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3485.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टेल प्रोजेक्ट लि., इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1. भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9,95,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,001 से 1,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 99,500 (रुपये नित्यानबे हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(495)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3485.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. TEIL Projects Limited, Engineers India Bhawan, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 99,500 (Rs. Ninety Nine Thousand Five Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 9,95,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 50,001 to 1,00,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (512)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3486.—गृह

मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मिलेनियम प्लाजा रिजोर्ट्स एण्ड होटल्स प्रा. लि., एस-1, अमेरिकन प्लाजा, इन्टरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 50,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,00,00,001 से 10,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(512)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3486.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Millennium Plaza Resorts & Hotels Private Limited, S-1, American Plaza, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,00,000 (Rs. Five Lac) on the aggregate value of shares of Rs. 50,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 5,00,00,001 to 10,00,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (546)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3497.—गृह

मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सपोमिडिया इवेन्ट्स इंडिया प्रा. लि., बी.509, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 34,40,220 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 76,70,995 से 80,15,016 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3441 (रुपये तीन हजार चार सौ इकतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(546)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3479.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Expomedia Events India Private Limited, B-509, 2nd Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3441 (Rs. Three Thousand Four Hundred Forty One) on the aggregate value of shares of Rs. 34,40,220 for equity Share certificates with distinctive Nos. 76,70,995 to 80,15,016 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (538)/मु. स. (मुख्या)/स.शु. 08/3480.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इनोवेटिव क्लाड सोल्युशन्स प्रा. लि., एच-2 सुनेजा चेम्बर्स, अलकनंदा कमर्शियल कम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,07,10,001 से 1,52,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 45,000 (रुपए पैंतालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(538)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3480.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Innovative Clad Solutions Pvt. Ltd., H-2, Suneja Chambers, Alaknanda Commercial Complex, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 45000 (Rs. Forty Five Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 4,50,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,07,10,001 to 1,52,10,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (544)/मु. स. (मुख्या)/स.शु. 08/3483.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कमरा नं. 101/ए, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,70,23,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 8,80,001 से 25,82,300 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 17,02,300 (रुपये सतरह लाख दो हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(544)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3483.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, Room No. 101/A, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 17,02,300 (Rs. Seventeen Lac Two Thousand Three Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 1,70,23,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 8,80,001 to 25,82,300 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (545)/मु. स. (मुख्या)/स.शु. 08/3476.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अल्कोआ इंडिया प्रा. लि., फ्लेट नं. ए, सातवीं मंजिल, मेरिडियन कमर्शियल टावर, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,88,60,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 31,50,001 से 94,58,800 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 78,860 (रुपये अठहत्तर हजार आठ सौ साठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(545)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3476.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Alcoa India Private Limited, Flat A, 7th Floor, Meridien Commercial Tower Raisina Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 78,860 (Rs. Seventy Eight Thousand Eight Hundred Sixty) on the aggregate value of shares of Rs. 7,88,60,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 31,50,001 to 94,58,800 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (541)/मु. स. (मुख्या)/स.शु. 08/3477.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सनविजन बिल्डर्स प्रा. लि., 106, बाबर रोड, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,55,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,10,001 से 25,60,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 15,500 (रुपये पन्द्रह हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(541)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3477.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sunvision Builders, Pvt. Limited, 106, Babar Road, Bengali Market, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15500 (Rs. Fifteen Thousand Five Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 1,55,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,10,001 to 25,60,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (543)/मु. स. (मुख्या)/स.शु. 08/3478.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मार्क्स एण्ड स्पेन्सर (इंडिया) प्रा. लि., शेड नं. 1, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, नियर डीएसआईडीसी ऑफिस, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,13,18,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 45, 687 से 55, 886 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 21, 318 (रुपये इक्कीस हजार तीन सौ अठ्ठाह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10(543)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3478.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Marks and Spencer (India) Private Limited, Shed No. 1, Central Warehousing Corporation, Near DSIDC Office, Kirti Nagar, New Delhi-110015 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 21,318 (Rs. Twenty One Thousand Three Hundred Eighteen) on the aggregate value of shares of Rs. 2,13,18,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 45,687 to 55,886 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (411)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/3469.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,

1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ईओसी पोलीमर्स इंडिया प्रा. लि., ए-220, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,31,03,960 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 63,06,481 से 76,16,876 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 13,104 (रुपये तेरह हजार एक सौ चार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

No. F. 10(411)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3469.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. EOC Ploymers India Private Limited, A-220, Defence Colony, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 13,104 (Rs. Thirteen Thousand One Hundred Four) on the aggregate value of shares of Rs. 1,31,03,960 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 63,06,841 to 76,16,876 be issued by the said company.

By Order

Of Chief Controlling Revenue Authority
Government of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)